कार्यालय कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र./तक.स.क्र.02/अनुरक्षण/167/486 भोपाल, दिनांक:07.07.2018

:: <u>निविदा विज्ञप्ति</u>::

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल एवं मण्डी बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर विभागीय आवासों हेतु मानव संसाधन व्यवस्था के लिये उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने वाली प्रतिष्ठित एजेंसी निविदा फॉर्म कार्यालयीन समय में दिनांक 09/07/2018 से दिनांक 30/07/2018 को अपरान्ह 12 बजे तक **http://www.mpmandiboard.gov.in/** से डाउनलोड कर सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/07/2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक है और प्राप्त निविदाऐं दिनांक 03/08/2018 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा की शर्तें एवं नियम म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में कार्यालयीन समय या मण्डी बोर्ड की वेबसाईट **http://www.mpmandiboard.gov.in/** पर देखे जा सकते हैं।

07/07/18
कार्यपालन यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क्र.2
भोपाल

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र

(1) कार्य का परिचय

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भापाल कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु निविदा आमंत्रित करता है। कार्यालय भवन के प्रांगण का क्षेत्र 1.75 एकड़ का है, भवन में स्थित खुला क्षेत्र एवं बहुमंजिला भवन का कारपेट क्षेत्र 76230 वर्गफुट है। इस भवन एवं परिसर में मण्डी बोर्ड कार्यालय एवं सहकारी बैंक तथा मण्डी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय लगता है तथा अन्य विभाग भी किराये पर स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मण्डी बार्ड के निम्न स्थानों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास भी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	विवरण	आवास संख्या
1	एम0पी0 नगर, प्लाट नं0 43	6
2	शिवानो काम्पलेक्स, 6 नम्बर स्टाप	14
3	विद्यानगर, होशंगाबाद रोड	12
4	झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक	10
5	गीताजंली काम्पलेक्स, पी एण्ड टी चौराहा	43
6	अंजता काम्पलेक्स, इन्द्रपुरी	64
7	नेहरू नगर	7
8	सरस्वती नगर जवाहर चौक (हाउसिंग बोर्ड का आवास)	1
9	नेहरू नगर में ध्वस्त आवास की संख्या	1
10	कोटरा सुल्तानाबाद के पूर्णतया ध्वस्त आवासों की संख्या (वर्तमान में भूखण्ड)	6
11	कटारा हिल्स पर निर्माणाधीन आवास	24
	कुल आवासों की संख्या	188

सम्पूर्ण भवन, खुला प्रांगण, मण्डी बोर्ड के आवास की व्यवस्था के लिये श्रमिकों की आवश्यकता हैः–

क्र	श्रमिक	संख्या
1	**उच्च कुशल**	
	1. Technician (D.G. set के संचालन हेतुद्ध	01
	2. Technician (Fire Fighter के संचालन हेतु)	01
	3. Liftmen	02
2	**कुशल श्रमिक**	
	1. प्लम्बर	01

	2. कारपेन्टर	01
	3. इलेक्ट्रीशियन	01
	4. Technician (Fire Fighter के संचालन हेतु	01
	5. राज मिस्त्री	02
3	**अर्ध कुशल श्रमिक**	
	1. प्लम्बर सहायक	01
	2. कारपेन्टर सहायक	01
	3. इलेक्ट्रीशियन सहायक	01
4	**अकुशल श्रमिक**	
	1. मजदुर	05

(2) कार्य का प्रकार एवं विवरण

निविदाकार को कार्यालय भवन एवं परिसर की तथा आवासों के लिये पर्याप्त कर्मियों की व्यवस्था करनी होगी जो निम्नानुसार कार्य अनुबंधकर्ता संस्था की संतुष्टि के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे।

2.1 निविदाकार एजेंसी ‘‘अ’’ श्रेणी विद्युत ठेकेदारी लाईसेंसो(जीवित पंजीयन) होना आवश्यक है तथा H.T. Sub-Station (33KVA) का अनुरक्षण कार्य का 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

2.2 कार्यालय परिसर के खुले भाग तथा अंदर एवं बाहर के लॉन तथा आवासों में मरम्मत एवं रिनोवेशन कार्य तथा डी.जी. सेट, फायर फायटिंग सिस्टम, लिफ्ट्स के संचालन हतु एजेंसी के द्वारा श्रमिक का कार्य समय 8.00 घण्टे होगा तथा शिफ्टों का निर्धारण एजेंसी, मण्डी बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2 भोपाल से चर्चा कर लिखित में प्राप्त निर्देशानुसार करेगी।

2.3 विशिष्ठ अवधियों यथा विधानसभा सत्र, विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन तथा कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों हेतु अवकाश के दिवस कार्यालय संचालन की स्थिति में श्रमिकों का उपस्थित रहना होगा।

(3) नियम, दर एवं शर्ते

3.1 मरम्मत/रखरखाव व निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।

3.2 उच्च कुशल/ कुशल श्रमिक (Technician, Liftmen, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री) की नियमानुसार तकनीकी /शैक्षणिक योग्यता / लाईसेंस आदि होना अनिवार्य है, जिनकी निविदाकार द्वारा सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्र	श्रमिक	संख्या	तकनीकी / शैक्षणिक योग्यता/ लाईसेंस/ अनुभवन आदि का विवरण
1	**उच्च कुशल**		
	1. Technician (D.G. set के संचालन हेतुद्ध	01	लाईसेंसिंग बोर्ड का जीवित वायर मेन का लाईसेंस अनिवार्य है।
	2. Technician (Fire Fighter के संचालन हेतु)	01	लाईसेंसिंग बोर्ड का जीवित वायर मेन का लाईसेंस अनिवार्य है। एवं फायर फाईटिंग कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।
	3. Liftmen	02	लाईसेंसिंग बोर्ड का जीवित वायर मन का लाईसेंस अनिवार्य है।
2	**कुशल श्रमिक**		
	1. प्लम्बर	01	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड में अहर्ता तथा अनुभव होना चाहिए।
	2. कारपेन्टर	01	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
	3. इलेक्ट्रीशियन	01	वायरमेन डोमेस्टिक एण्ड ओव्हर हेड वायर मेन का जीवित लाईसेंस अनिवार्य है।
	4. Technician (Fire Fighter के संचालन हेतु	01	लाईसेंसिंग बोर्ड का जीवित वायर मेन का लाईसेंस अनिवार्य है।
	5. राज मिस्त्री	02	05 वर्ष का अनुभव। (निर्माण कार्य का)
3	**अर्ध कुशल श्रमिक**		
	1. प्लम्बर सहायक	01	पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण एवं कार्य का अनुभव।
	2. कारपेन्टर सहायक	01	पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
	3. इलेक्ट्रीशियन सहायक	01	पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण एवं 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4	**अकुशल श्रमिक**		
	1. मजदुर	05	कार्य का अनुभव

3.3 श्रमिकों के कार्यस्थल पर आवागमन की व्यवस्था, मोबाईल की तथा टुल्स एंड प्लांट्स की व्यवस्था एजेंसी को करनी होगी।

3.4 निविदाकार के द्वारा **''सेवा प्रभार''** की गणना में ई.एस.आई., ई.पी.एफ. अथवा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (जी.एस.टी.) एवं अन्य वैधानिक अनिवार्य रूप से देय प्रभार को विचार में नहीं लिया जावेगा तथा कर्मियों को देय पारिश्रमिक जोकि ज़िला कलेक्टर के द्वारा निर्धारित दर होगी, पर होने वाले कुल मासिक भुगतान (Gross Salary) के आधार पर

प्रतिशत के रूप में गणना की जायेगी। निविदा दर अर्थात ''**सेवा प्रभार**'' संलग्न प्रपत्र –02 में अंकित का ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह इस निविदा की समस्त शर्तों के अधीन होगा।

3.5 यह कि निविदाकार (निविदा प्रपत्र में इन्हें ''एजेंसी'' के नाम से संबोधित किया गया है) द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि रू.50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल बैंक से बनवाया गया डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी. आर./टी.डी.आर. **''कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल''** के नाम, तथा निविदा स्वीकृत होने के बाद राशि रू.1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र।) की अतिरिक्त सुरक्षा निधि राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल बैंक द्वारा जारी, भोपाल स्थित शाखा पर भुगतान योग्य, बैंक गारंटी/ एफ.डी.आर., अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगी, जिसकी वैधता अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक होना अनिवार्य होगी।

3.6 निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से रूपये रु.1000/– (रूपये एक हज़ार मात्र) के नॉन ज्युडिश्यिल स्टाम्प पेपर पर दो वर्षों के लिये अनुबंध करना होगा, जिसकी अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन अधिकतम एक वर्ष के लिये प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। परंतु निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोड, भोपाल से अनुबंध नहीं करने की दशा में राशि रू.50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र) निविदाकार की अमानत राशि अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा जप्त/राजसात कर ली जावेगी।

3.7 पदस्थ श्रमिक की छुट्टी, बीमारी व श्रमिक के परिवर्तन की स्थिति में एजेंसी को तत्काल अन्य श्रमिक की व्यवस्था करनी होगी, जिसकी सूचना विभाग को भी देनी होगी।

3.8 एजेंसी अपने श्रमिक को वर्दी, जूता, मोज़ा, रेनकोट, गर्म जर्सी आदि मुहैया कराएगी, जिसका पृथक से किसी भी तरह का भुगतान अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा देय नहीं होगा।

3.9 एजेंसी का कोई भी श्रमिक किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है व उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तथा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है, अनुबंधकर्ता संस्था के हितों के विपरीत कार्यकलापों में संलग्न पाया जाता है तो अनुबंधकर्ता संस्था के अधिकारी उक्त श्रमिक को तत्काल परिसर से हटा सकेंगे एवं एजेंसी को यह दायित्व होगा की उपयुक्त व्यक्ति से इनके स्थापन की तत्काल पूर्ति की जाए।

3.10 निविदाकर्ता एजेंसी एकल स्वामित्व/ साझेदारी फर्म/ कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत कम्पनी हो सकती है परंतु एजेंसी के पास कम से कम 150 कर्मचारियों का वर्तमान में मान्य कॉन्ट्रेक्ट लेबर लायसेंस होना अनिवार्य है।

3.11 निविदाकार/एजेंसी का विगत 03 वर्ष (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) औसत वार्षिक टर्नओवर राशि कम से कम रू.50.00 लाख होना, तथा विगत 03 वर्षों (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में से किसी एक वर्ष में कम से कम एक संस्था से श्रमिकों की व्यवस्था के लिये एकल अनुबंध मुल्य (Tender value) रूपये पच्चीस लाख से ज्यादा का होना चाहिऐं। **टर्नओवर के प्रमाण हेतु तीनों वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट (लाभ–हानि पत्रक सहित) एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा संदर्भित एकल अनुबंध मुल्य (Tender value) का सी.ए. के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैलेंसशीट एवं एकल अनुबंध मूल्य के प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति के अभाव में निविदा अमान्य होगी।**

3.12 निविदाकार को केंद्र शासन के विभाग/उपक्रम या राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैंको आदि के मानव संसाधन व्यवस्था का न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव और वर्तमान में, एजेंसी में वर्तमान में कार्यरत/नियोजित कर्मियों की संख्या (एक संस्था या विभिन्न संस्थाओं में जोड़कर) कम से कम 100 होना अनिवार्य है।

3.13 निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदाकता को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहाँ वह कार्य कर रहीं हैं।

3.14 ऐजेंसी, श्रम कानूनों का पालन के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं उसे आवश्यक पंजीयन निविदा डालते समय संबंधित विभाग से प्राप्त कर, कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रचलित श्रम कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेंगे, जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

3.15 एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मियों को ज़िला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय–समय पर उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल एवं अकुशल दर पर नियमानुसार एवं विधि सम्मत पारिश्रमिक का ही भुगतान करेगी। यदि कम वेतन भुगतान या समय पर भुगतान नहीं करने की शिकायत प्राप्त होती है और प्रमाणित पाई जाती है, तब एजेंसी का यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जावेगी।

3.16 एजेंसी द्वारा श्रमिक को प्रतिमाह देय राशि का भुगतान Minimum Wages Act. 1948 and Payment of Wages Act. 1936 में दिये गये प्रावधान अनुसार करना होगा।

3.17 एजेंसी संबंधित अनुबंधकर्ता से मानव संसाधन की आवश्यकता की संख्या प्राप्त करेगी तदानुसार अनुबंधकर्ता संस्था में लगने वाले श्रमिकों का बायोडाटा मय फोटो, आधार कार्ड नम्बर आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी सहित संबंधित अनुबंधकर्ता संस्था के अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेगी। अनुबंधकर्ता संस्था में बायोडाटा जमा कराये बगैर एजेंसी के द्वारा श्रमिकों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

3.18 एजेंसी में कार्यरत श्रमिकों की, जिनकी एजेंसी के द्वारा पदस्थी की जावेगी, का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र ज़िला चिकित्सालय से प्राप्त कर, निविदा अनुबंध निष्पादन के अधिकतम दो माह के अंदर, अनुबंधकर्ता संस्था को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.19 समस्त वैधानिक भुगतान जैसे गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.), ई.पी.एफ. अंशदान तथा ई.एस.आई. अंशदान, एजेंसी को स्वीकृत **''सेवा प्रभार''** के अतिरिक्त देय होगा जिनकी पूर्ति अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा की जायेगी। निविदा में **''सेवा प्रभार'' (प्रतिशत में)** से आशय है इस प्रपत्र की कंडिका 3.4 में उल्लेख अनुसार है।

3.20 एजेंसी, अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ अपने प्रत्येक श्रमिक की प्रत्येक माह देय ई.पी.एफ. की राशि निर्धारित कार्यालय में जमा कराकर चालान/रसीद की प्रति श्रमिकों के नाम एवं ई.पी.एफ. नम्बर सहित अपने लेटरपेड पर लिखकर, सील लगाकर हस्ताक्षर कर अनुबंधकर्ता संस्था को उपलब्ध करायेगी। एजेंसी द्वारा आगामी माह का पारिश्रमिक देयक विगत माह की ई.पी.एफ. चालान तथा उक्त अनुसार श्रमिकों की सूची प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।

3.21 एजेंसी के द्वारा श्रमिकों के वैधानिक भुगतान जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) आदि संबंधित अधिनियमों के तहत सभी औपचारिकताओं एवं पूर्तियोंके लिये एजेंसी स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

3.22 संबंधित निविदाकार एजेंसी को विगत वर्ष 2016–17 में म.प्र. के शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की संख्या के संबंध में मय अभिलेखों के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.23 यदि मध्यप्रदेश के बाहर की एजेंसी की निविदा स्वीकृत होती है तो संबंधित एजेंसी को अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से एक माह की अवधि में भोपाल, मध्यप्रदेश में अपना क्षैत्रीय कार्यालय खोलना अनिवार्य होगा, नियत समयावधि में कार्यालय न खोलने की स्थिति में निष्पादित अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3.24 प्रदाय/पदस्थ किये गये समस्त श्रमिक अनुबंधित एजेंसी के नियंत्रण में रहेंगें।

3.25 एजेंसी को निम्न तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगाः–

- Minimum Wages Act. 1948
- Contributory P.F. and Miscellaneous Provisions Act 1952
- Factories Act & M.P. Rules 1948
- Contract Labour [Regulation & Abolition Policies 1970]
- Payment of Wages Act 1936
- Workman Compensation Act 1923 & any other Rules
- Provision of GST.

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक सभी प्रकार के नियम लागू होंगे जो उपरोक्त के अलावा निविदा में वर्णित कार्य पर प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से लागू होते हैं।

3.26 अगर किसी प्रकरण में अनुबंधकर्ता संस्था उचित समझती है कि जाच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेंसी अनुबंधकर्ता संस्था के निर्देशों का पालन करेगी। अगर चालान अदालत में प्रस्तुत होता हो तो एजेंसी को, जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाये, साक्ष्य आदि के लिये उपलब्ध रहना होगा।

3.27 मण्डी बोर्ड के भवन एवं आवासीय परिसर/ प्रागंण का पूरा भाग जिसके लिये एजेंसी को अनुबंधित किया गया है क किसी भाग या क्षेत्र में श्रमिक न लगाये जाने/न प्रदाय करने की स्थिति में एजेंसी को दिये भुगतान में से अनुपातिक रूप से उतनी राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

3.28 अनुबंध की अवधि में यदि प्रभावशील कानूनों के अंतर्गत ज़िला कलेक्टर द्वारा निर्धारित देय राशि में वृद्धि की जाती है तो इस वृद्धि की गई राशि की सीमा तक अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा भुगतान किया जावेगा।

3.29 एजेंसी द्वार प्रस्तुत देयक का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम एवं तत समय प्रचलित वैधानिक नियम के तहत स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर/प्रभार काटा जावेगा।

3.30 यदि अनुबंधकर्ता संस्था एवं एजेंसी के मध्य अनुबंध के तहत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण ''प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल'' को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक, सोल आर्बीट्रेटर होंगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय एजेंसी एवं अनुबंधकर्ता संस्था को मान्य तथा बंधनकारी होगी। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एवं कॉसिंलिएशन एक्ट –1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

3.31 सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार अनुबंधकर्ता संस्था के लिये सक्षम न्यायालय भोपाल होगा।

3.32 कार्य के दौरान यदि श्रमिक किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी/निविदाकार का होगा।

3.33 निविदाकार को नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी एजेंसी के विरूद्ध किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के द्वारा दायर आर्थिक प्रकरण में किसी तरह की दोषिता सिद्ध नहीं हुई है।

3.34 निविदाकार की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

3.35 निविदाकार को निविदा के साथ आयकर के भुगतान का विगत वर्ष 2016–17 का आयकर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.36 निविदाकर को संलग्न प्रपत्र –1 अनुसार निविदा विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.37 एजेंसी को भुगतान की गई राशियों का नियमानुसार लेखा संधारण करना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.38 एजेंसी द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था को उपलब्ध किये गये श्रमिकों के संबंध में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि एजेंसी के श्रमिक का कोई रिश्तेदार/नातेदार, मंडी बोर्ड में नियमित कर्मचारी न हो। एजेंसी को प्रत्येक कर्मी से इस बाबत् घोषण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। रिशतेदार से तात्पर्य आयकर अधिनियमें की धारा 56 में वर्णित रिशतेदार की परिभाषा से है, जिसमें निम्न सम्मिलित हैः–

1. श्रमिक का पति/ की पत्नी
2. श्रमिक का भाई या बहन
3. श्रमिक के पति/ की पत्नी का भाई या बहन
4. श्रमिक के माता–पिता में से किसी का भाई या बहन
5. श्रमिक का कोई पारम्परिक पूर्व पुरूष या वंशज
6. श्रमिक के पति/ की पत्नी का कोई पारम्परिक पूर्व पुरूष या वंशज
7. उपरोक्त 1 से 6 में वर्णित व्यक्ति का पति/ की पत्नी

3.39 एजेंसी को मण्डी बोर्ड, मुख्यालय में पदस्थ किये गये सभी श्रमिकों को अपने परिचय –पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा तथा परिचय पत्र की छायाप्रति अनुबंधकर्ता संस्था को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना होगा तथा दैनिक उपस्थिति थंब इम्प्रेशन (Biometric) पद्धति का उपयोग किया जाना होगा, जिसकी व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जावेगी।

3.40 एजेंसी के द्वारा मण्डी बोर्ड में पदस्थ समस्त श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान KYC धारित Account में NEFT/RTGS/ अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से ही किया जावेगा।

3.41 प्रथम सफल निविदाकार की न्यूनतम निविदा स्वीकृति उपरांत शेष अन्य निविदाकारों के ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक 15 दिवस के अंदर लौटा दिये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यह समयावधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को होगा।

3.42 एजेंसी अथवा उसके श्रमिकों को लापरवाही के कारण अनुबंधकर्ता (मण्डी बोर्ड) संस्था को या उसकी सम्पत्ति को कोई क्षति / हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी को करना होगी।

3.43 निविदाकार एजेंसी के द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने पर या अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात, इस निविदा के अंतर्गत उन्हे दिये गये कार्य को, किसी भी स्थिति में अन्य संस्था / व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

3.44 उक्त कार्य के दौरान अनुबंधकर्ता द्वारा कार्य में उदासीनता बरतने एवं निर्धारित कार्य न होने के कारण कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल को राशि रू.100 / – प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड / कटौत्रा देयकों से करने का तथा 01 माह का सूचना–पत्र देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल को होगा।

3.45 समस्त श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर ही देयक का भुगतान किया जावगा।

(4) निविदा प्रक्रिया या कार्यक्रमः–

क्र.	गतिविधि	दिनांक और समय
1	निविदा विज्ञप्ति जारी करने की तिथि	07.07.2018 सायं 05.30 बजे
2	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	31.07.2018 सायं 03.00 बजे
3	तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	03.08.2018 सायं 03.00 बजे से
4	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	03.08.2018 सायं 04.00 बजे से

4.1 निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें वेबसाईट http://www.mpmandiboard.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक संस्थाऐं निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकती है। वेबसाईट से डाउनलोड की गई ''**निविदा**'' के साथ ''**निविदा प्रपत्र का मुल्य**'' राशि रूपये 2000/– (रूपये दो हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ पस्तुत करना आवश्यक होगा। यह ड्राफ्ट ''**कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल''** के नाम से बनाया जायेगा।

निविदा दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत की जावेगी। ''**लिफाफा क्र.1**'' में निविदा प्रपत्र मुल्य का बैंक ड्राफ्ट, अमानत राशि रू.50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर./टी. डी.आर. जो कि ''**कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल''** के नाम का होगा तथा निविदाकार की विवरणी ''प्रपत्र क्र.1'' एवं आवश्यक प्रपत्र रखे जावेंगे। उक्तानुसार सभी जानकारियाँ ''**लिफाफा क्र.1**'' में रखी जाकर सील बंद करना अनिवार्य होगा। बिना उपरोक्तानुसार ड्राफ्टों एवं दस्तावेजों के निविदा मान्य योग्य नहीं होगी।

4.2 **''लिफाफा क्र.2''** में निविदा दरें (वित्तीय ऑफर) **''प्रपत्र क्र.2''** में प्रस्तुत करनी होंगी और इस लिफाफे के ऊपर **''लिफाफा क्र.2 निविदा की दरें''** अंकित कर सीलबंद करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात **''लिफाफा क्र.1''** एवं **''लिफाफा क्र.2''** पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर नियत दिनांक एवं समय के पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस बड़े लिफाफे के ऊपर ''**कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल'' ''मानव संसाधन व्यवस्था हेतु''** निविदा अंकित करना अनिवार्य होगा। सभी लिफाफों पर एजेंसी का सही नाम पता एवं मोबाईल नम्बर लिखा जाना अनिवार्य है।

4.3 उपरोक्तानुसार निविदा कार्यालय ''**कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल''** में नियत तिथि एवं समय के पूर्व जमा होना आवश्यक है। इसके साथ ही निविदाकार्ता भारतीय डाक सेवा की ''स्पीड पोस्ट''/ कोरियर से भी अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है, परंतु नियत समय एवं तिथि के बाद तथा ''स्पीड पोस्ट''/कोरियर से भेजी गई निविदा में विलंब के लिये निविदाकार की निविदा मान्य नहीं होगी।

4.4 निविदा खोलने की दिनांक को सर्वप्रथम निविदाकार का **लिफाफा क्र.1** खोले जायेगा। **लिफाफा क्र.1** में प्रपत्र क्र.1 में चाहे गये दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं चाहे गये अभिलेख निविदाकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसी दिन अर्थात निविदा खोलने की दिनांक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगी। निविदा खोलने की दिनांक को मूल प्रतियाँ प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। जिसके सत्यापन के पश्चात पात्र एवं मान्य निविदाओं का तकनीकी मुल्यांकन किया जावेगा।

(5) चयन प्रक्रिया :–

5.1 तकनीकी मूल्यांकन के लिये स्कोरिंग शीटः–

क्र.	निविदाकारें के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।	मापदण्ड	अधिकतम अंक	निविदाकर्ताओं को प्राप्त अंक	कार्यालय उपयोग हेतु
1	कार्यानुभव प्रमाण पत्र (शर्त क्र.3.13 में जारी या स्वयं प्रामाणित।)	न्यूनतम 03 वर्ष से 05 वर्ष तक –10 अंक 5 वर्ष से अधिक– 10 अंक	20		
2	विगत 03 वर्षो (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं म इस निविदा की शर्त क्र.3.12 में वर्णित संवर्ग के श्रामिकों की प्रतिवर्ष नियोजित	100 से 200 श्रमिकों तक – 10 अंक 200 से ज्यादा एवं 500 तक– 15 अंक 500 से ज्यादा –20 अंक	20		

	संख्या				
3	गत 03 वर्षों (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में से किसी एक वर्ष (शर्त क्र.3.11) में एकल अनुबंध मुल्य (Tender value)	रू. 25 लाख से रू. 50 लाख तक – 10 अंक रू. 50 लाख से ज्यादा एवं रू. 1.00 करोड़ तक– 15 अंक रू. 1.00 करोड़ से ज्यादा– 20 अंक	20		
4	पिछले 3 साल (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) का औसत टर्नओवर (शर्त क्र.3.11)	प्रत्येक वर्ष का रू. 50 लाख से रू. 75 लाख तक– 10 अंक प्रत्येक वर्ष रू. 75 लाख से ज्यादा एवं रू. 1 करोड़ तक –15 अंक प्रत्येक वर्ष रू. 1 करोड़ से ज्यादा –20 अंक	20		
5	स्वामित्व (शर्त क्र.3.10)	पंजीकृत कंपनी – 20 अंक पंजीकृत साझेदारी फर्म – 15 अंक एकल स्वामित्व – 10 अंक	20		
		कुल अंक	**100**		

5.2 निविदाकर्ता की तकनीकी का आकलन निविदा में वर्णित मूल्यांकन शीट में दिये गये विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया जावेगा। विभिन्न मापदंडों के लिये अलग–अलग अंकों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार योग्य पाए गये निविदाकर्ताओं को प्राप्त अंका के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जावेगी। मेरिट के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होंगे। सर्वोच्च स्थान पाने वाली समान अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को मेरिट क्र.1 उसके पश्चात समान अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को मेरिट क्र.2 तथा आगे के क्रम समान अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को मेरिट क्र.3 आवंटित किया जावेगा।

उपरोक्त मेरिट क्र.– 1, 2 एवं 3 की समस्त निविदाऐं तकनीकी रूप से मान्य की जावेगी व उसके पश्चात ''**लिफाफा क्र.2**'' के ''वित्तीय ऑफर'' खोले जावेंगे। वित्तीय ऑफर में समान दरें प्राप्त होने की स्थिति में तकनीकी म्ल्यांकन में सर्वाधिक अंक वाले निविदाकार का चयन किया जावेगा। यदि तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय ऑफर में समान अंक है तो ऐसे निविदाकार का चयन किया जावेगा, जिसका विगत वर्ष 2016–17 में म.प्र. में शासकीय /अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक हो एवं निविदा जारी करने के पूर्व उसकी म.प्र. में सर्वाधिक शाखाऐं हों।

5.3 वित्तिय प्रस्ताव में **''सेवा प्रभार''** प्रतिशत में अंकित किया जाना होगा एवं यदि अंकों में और शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा स्वीकृति याग्य नहीं मानी जावेगी।

5.4 निविदाकार की 05 (पाँच) प्रतिशत से कम **''सेवा प्रभार''** की निविदा अमान्य होगी।

5.5 **कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल** को निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग क्र.–2, भोपाल

प्रपत्र – 01

निविदाकार की विवरणी

(1)	एजेंसी / फर्म / संस्था का नाम	....
(2)	एजेंसी / फर्म / संस्था का पूरा वर्तमान और स्थाई पता एवं लैड लाईन फोन नं./ फैक्स नं./ मोबाईल नं.	....
(2.1)	एजेंसी / फर्म / संस्था का मध्य प्रदेश में कार्यालय एवं शाखाओं का पूरा पता एवं लैंड लाईन नं./ फैक्स नं./ मोबाईल नं.	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(3)	एजेंसी / फर्म / संस्था का प्रकार (पंजीकृत/ पंजीकृत साझेदारी/ एकल स्वामित्व) (शर्त क्र.3.10 अनुसार)	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(4)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (श्रमायुक्त कार्यालय का) (शर्त क्र.3.14 अनुसार)	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(5)	भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (शर्त क्र.3.21)	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(6)	ई.एस.आई. में पंजीयन का क्र. एवं दिनांक (शर्त क्र.3.21)	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(7)	गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स विभाग का पंजीयन	....

	/दिनांक (शर्त क्र.3.21)	(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(8)	निविदाकार एजेंसी ''अ'' श्रेणी विद्युत ठेकदारी लाईसेंसी(जीवित पंजीयन) होना आवश्यक है तथा H.T. Sub-Station (33KVA) का अनुरक्षण कार्य का 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (शर्त क्र.2.1)	(स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
(9)	उच्च कुशल/ कुशल श्रमिक (Technician, Liftmen, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री) की नियमानुसार तकनीको /शैक्षणिक योग्यता / लाईसेंस। (शर्त क्र.3.2)	(स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
(10)	एजेंसी का टर्न ओवर (रू.) (चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।) (शर्त क्र.3.11)	वर्ष 2014–15 .... वर्ष 2015–16................................. वर्ष 2016–17 .... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(11)	विगत 03 वर्षों (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में रूपये पच्चीस लाख या अधिक का एकल अनुबंध मुल्य(Tender value) संख्या (शर्त क्र.3.11):	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य (सी.ए. का प्रमाण पत्र) संलग्न करें।)
(12)	विगत 03 वर्षों (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) में से किसी एक वर्ष में किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं में प्रतिवर्ष नियोजित श्रमिकों (मानव संसाधन को जोड़कर) की संख्या (शर्त क्र.3.12):	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)
(13)	संबंधित निविदाकार एजेंसी को विगत वर्ष 2016–17 में म.प्र. के शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की संख्या के संबंध में मय अभिलेखों के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।	.... (स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करें।)

	(शर्त क्र.3.22)	
(14)	वर्ष 2016–17 का आयकर देय भुगतान प्रमाण पत्र (नं. एवं दिनांक) (शर्त क्र.3.35)	.... (छायाप्रति संलग्न करें)
(15)	आयकर पेन नं.	पेन नं. की सत्यापित छायाप्रति
(16)	यदि कोई आर्थिक प्रकरण में एजेंसी /फर्म के विरूद्ध दोषिता सिद्ध हुई ह। हाँ अथवा नहीं। (शर्त क्र.3.33)	.... (यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें)
(17)	मानव संसाधन (सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) श्रमिक व्यवस्था के कार्य का अनुभव (शर्त क्र. 3.12)	....(वर्षो में) (साक्ष्य के साथ नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें)
(18)	मुख्य कार्यपालक /निविदाकार (एजेंसी/संस्था) के नाम एवं पता मोबाईल एवं लैंड लाईन फोन नं. के साथ ई–मेल पताः	....

घोषणा

1 मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम–शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो ''कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल'' द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।

2 ''कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल'' द्वारा योग्य एजेंसी के चयन संबंध में लिया गया निर्णय को मुझे/हम मानने के लिये पूर्णतः बाध्य होंगे।

3 मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

4 मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य अथवा संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर

(निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक)

नामः– ....

पताः– ....

....

....

दिनांक ..../.........../.................

<u>प्रपत्र–02</u>

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग क्र.2,
भोपाल

विषयः– म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भवन परिसर एवं आवासीय परिसरों में उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की व्यवस्था हेतु **''सेवा प्रभार''** बाबत्।

––00––

महोदय,

आपके द्वारा प्रकाशित/विज्ञप्ति म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भवन परिसर की श्रमिकों की व्यवस्था हेतु निविदा में निविदा की शर्त क्र.3.4 के अनुसार ''**सेवा प्रभार''** के संबंध में हमारी/मेरी निविदा दर, कुल नियुक्त/प्रदायित कराये जाने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का देय मासिक पारिश्रमिक (Gross wages i.e. Excluding EPF, ESI, Goods and Service Tax & Mandatory Charges) का प्रतिशत (अंकों में) .... (शब्दों में) .... है।

दिनांक ..../......../2018

आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील के साथ
आवेदक / एजेंसी का नाम ....
....
पूरा पता ....
....
....
....
दूरभाष/फैक्स क्र. ....

घोषणा

मैं/हम प्रमाणित करता हू/करते हैं कि हमे/मुझे ''कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग क्र.2, भोपाल'' द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मंजूर है तथा हमे/मुझे म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय परिसर, भोपाल / मण्डी बोर्ड के आवासीय परिसर की श्रमिकों की व्यवस्था की पूर्ण जानकारी है। हम/मैं इस पर सहमति देता हूँ कि उक्त मानव संसाधन व्यवस्था के लिये लगाये गये श्रमिकों को समय–समय पर ज़िला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 07 तारीख पर भुगतान राशि प्राप्त की जावेगी। शासन के नियम/निर्देशों क तहत वैधानिक देय राशि कटौत्रे तथा ई.एस.आई./ई.पी. एफ. तथा गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स आदि की राशि निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था से प्राप्त कर संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूंगा।

गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. सभी प्रकार क लेवी/टैक्स जमा करने संबंधी अनुबंध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। लेवी/टैक्स की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।

आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील के साथ
आवेदक / एजेंसी का नाम ....
....
पूरा पता ....
....
....
....
दूरभाष/फैक्स क्र. ....